अलवर

2/2/21 वकील वादी उ०। वकील वादी को प्रतिवादीगण की तामीली हेतु तामीला पेश करने हेतु दि० 12/4/17 से अनेक अवसर दिये गये। दि० 28/10/20 को व 12/1/21 को न्यायहित मे अन्तिम अवसर दिया गया। लेकिन वादी ने तामीली हेतु तामीला पेश नही किये। अतः वादी का वाद अन्तर्गत 09 R 05 CPC के तहत अदम तकमील मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनवाई

सहायक कलक्टर
अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 12:13:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner